न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **227/2024** दायर दिनाँक **27.08.2024**

वादी

1. रामनिवास पुत्र सुखाराम जाति बावरी निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. हड़मानराम पुत्र सुखाराम
2. सुवाराम पुत्र सुखाराम
3. रूघनाथ पुत्र सुखाराम
4. फूला देवी पत्नी गणेशाराम
5. सेवाराम पुत्र गणेशाराम
6. दिनेश पुत्र गणेशाराम
7. गणपति पुत्री गणेशाराम
8. मुन्नी पुत्री गणेशाराम
9. मीरा उर्फ छोटूड़ी पत्नी स्व0 सुखाराम
10. आरती पुत्री रामेश्वरी
11. जानकी पुत्री रामेश्वरी
12. शांति पुत्री रामेश्वरी
13. पुष्पा पुत्री रामेश्वरी
14. लालाराम पुत्र रामेश्वरी
15. रामगोपाल पुत्र रामेश्वरी
16. भंवरलाल पुत्र स्व0 चन्द्राराम
17. जीवणराम पुत्र स्व0 चन्द्राराम
18. शंकरलाल पुत्र स्व0 चन्द्राराम
19. पूसाराम पुत्र स्व0 चन्द्राराम
20. लालाराम पुत्र स्व0 चन्द्राराम
21. राजूराम पुत्र स्व0 नारायणराम
22. मांगीलाल पुत्र स्व0 नारायणराम
23. नेमाराम पुत्र स्व0 नारायणराम
24. मदनलाल पुत्र स्व0 नारायणराम
25. पतासी पुत्री स्व0 नारायणराम
26. पुसी देवी पुत्री स्व0 नारायणराम समस्त जाति बावरी निवासीगण दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज0
27. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्

बंटवाड़ा, घोषणा रास्ता व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा–188, 53, 88

1. श्री पूर्णसिंह बोहरा वकील वादी।

–:: **निर्णय** ::–

दिनाँक **11.12.2024**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वाकै सरहद दौलतपुरा के खेत खसरा सं0 460 रकबा 0.2200 हैक्टे0 बारानी 2, खसरा सं0 528 रकबा 0.1100 हैक्टे0 बारानी 2, खसरा सं0 576 रकबा 1.9900 हैक्टे0 बारानी 2, कुल खसरा 3 रकबा 2.3200 हैक्टे0 भूमि अस्थित है।

वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 26 के मध्य पारस्परिक सहमति से मौखिक रूप से उक्त खसरान के मौके पर बंटवारा वर्षो पूर्व हो गया था। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमियों में सदैव से ही वादी एवं प्रतिवादीगण के 1/3–1/3 हिस्से के रूप में अवस्थित रही है।

उक्त आराजियात खसरा नम्बरान की भूमि में पक्षकारान के मौखिक बंट व कब्जा काश्त इस प्रकार है :–

– वादी रामनिवास एवं प्रतिवादी हड़मान,सुवाराम, रूघनाथ [illegible] छोटूड़ी पत्नी स्व0 फूला देवी, सेवाराम, दिनेश, गणपति, मुन्नी वारिसान स्व0 गणेशाराम [illegible] बंट [illegible] हिस्सा :– खसरा सं0 460 रकबा 0.2200 हैक्टे0 सम्पूर्ण तथा खसरा सं0 528 रकबा 0.1100 हैक्टे0 [illegible], खसरा सं0 576 रकबा 1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.10.14 14:21:54 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

9900 हैक्टे0 में से 0.4452 हैक्टे0 पूर्वी व दक्षिणी दिशा कि कृषि भूमि कुल 0.7752 भूमि।
– प्रतिवादी सं0 16 भंवरलाल, 17 जीवणराम, 18 शंकरलाल, 19 पूसाराम, 20 लालाराम का बंट व हिस्सा :– खसरा सं0 576 रकबा 1.9900 हैक्टे0 में से 0.7724 हैक्टे0 भूमि।
– प्रतिवादी सं0 21 राजूराम, 22 मांगीलाल, 23 नेमाराम, 24 मदनलाल, 25 पतासी, 26 पुसीदेवी के बंट व हिस्सा :– खसरा सं0 576 रकबा 1.9900 हैक्टे0 में से 0.7724 हैक्टे0 भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है:–

उपरोक्त वर्णित अनुसार कृषि भूमि का बंटवारा व कब्जा काश्त के अनुसार बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण की पृथक–पृथक खातेदारी घोषित कर इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में तरमीम किया जावें तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 9 की बहिन रामेश्वरी के वारिसान प्रतिवादी सं0 10 ता 15 अपना हक हिस्सा की भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 9 के हक में रकबाखने से प्रतिवादी सं0 10 ता 15 का नाम उक्त खसरान की भूमि से हटाने की कृपा करावें तथा खातेदारी में दर्ज पेमीदेवी व चन्द्राराम का नाम खातेदारी से हटाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 व 16 ता 20 तथा 10 से 15 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 21 से 27 तामिलगी के बावजूद भी न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

साक्ष्य वादी में PW-1 वादी रामनिवास का शपथ–पत्र पेश हुआ।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस मुख्यत उनके वाद पर आधारित रही तथा उन्होने दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने माफिक राजीनामा दावा डिक्री करने पर सहमति व्यक्त की।

बहस पर मनन किया व रेकर्ड व अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी तथा प्रतिवादीगण सं0 1 से 26 स्व0 हीराराम के वारिसान है जो अपनी पुश्तैनी भूमि की खातेदारी बंटवारा के अनुसार चाह रहे है। बन्टवारा की पुष्टि में राजीनामा पेश किया गया है। अतः पक्षकारान के मध्य प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का हस्तगत वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

–:: आदेश ::–

दावा डिक्री सादिर कर वाकै सरहद दौलतपुरा के खेत खसरा सं0 460 रकबा 0.2200 हैक्टे0 बारानी 2, खसरा सं0 528 रकबा 0.1100 हैक्टे0 बारानी 2, खसरा सं0 576 रकबा 1.9900 हैक्टे0 बारानी 2, कुल खसरा 3 रकबा 2.3200 हैक्टे0 की भूमि में राजीनामा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश जारी किये जाते है।राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नुसार रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हों।

Vikas

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **11.12.2024** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.10.14 14:21:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना,
बइजलास : पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **227/2024** — दायर दिनाँक **27.08.2024**

वादी

1. रामनिवास पुत्र सुखाराम जाति बावरी निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. हड़मानराम पुत्र सुखाराम
2. सुवाराम पुत्र सुखाराम
3. रूघनाथ पुत्र सुखाराम
4. फूला देवी पत्नी गणेशाराम
5. सेवाराम पुत्र गणेशाराम
6. दिनेश पुत्र गणेशाराम
7. गणपति पुत्री गणेशाराम
8. मुन्नी पुत्री गणेशाराम
9. मीरा उर्फ छोटूड़ी पत्नी स्व0 सुखाराम
10. आरती पुत्री रामेश्वरी
11. जानकी पुत्री रामेश्वरी
12. शांति पुत्री रामेश्वरी
13. पुष्पा पुत्री रामेश्वरी
14. लालाराम पुत्र रामेश्वरी
15. रामगोपाल पुत्र रामेश्वरी
16. भंवरलाल पुत्र स्व0 चन्द्राराम
17. जीवणराम पुत्र स्व0 चन्द्राराम
18. शंकरलाल पुत्र स्व0 चन्द्राराम
19. पूसाराम पुत्र स्व0 चन्द्राराम
20. लालाराम पुत्र स्व0 चन्द्राराम
21. राजूराम पुत्र स्व0 नारायणराम
22. मांगीलाल पुत्र स्व0 नारायणराम
23. नेमाराम पुत्र स्व0 नारायणराम
24. मदनलाल पुत्र स्व0 नारायणराम
25. पतासी पुत्री स्व0 नारायणराम
26. पुसी देवी पुत्री स्व0 नारायणराम
    समस्त जाति बावरी निवासीगण दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज0
27. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा रास्ता व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–188, 53, 88

दिनाँक **11.12.2024**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पूर्णसिंह बोहरा वकील वादी की आरे से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है दावा डिक्री सादिर कर दावा डिक्री सादिर कर वाकै सरहद दौलतपुरा के खेत खसरा सं0 460 रकबा 0.2200 हैक्टे0 बारानी 2, खसरा सं0 528 रकबा 0.1100 हैक्टे0 बारानी 2, खसरा सं0 576 रकबा 1.9900 हैक्टे0 बारानी 2, कुल खसरा 3 रकबा 2.3200 हैक्टे0 की भूमि में राजीनामा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश जारी किये जाते है।राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिग.......... .... बाबत.......... ....

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज [illegible] को अदा करें। बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 11.12.2024 को [illegible] जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.10.14 14:21:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के ज़रिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.10.14 14:21:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner